2018 का विधेयक संख्यांक 137

[दि ज्यूवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) अमेंडमेंट बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2018 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अध्याय 2

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अध्याय 8 का संशोधन

अध्याय 8 का संशोधन ।

2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अध्याय 8 में,-- 2016 का 2

(i) धारा 56 की उपधारा (5) में, "न्यायालय के विधिमान्य आदेश" शब्दों के स्थान पर, "जिला मजिस्ट्रेट के विधिमान्य आदेश" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) धारा 58 में,--

(क) उपधारा (3) में, "न्यायालय में" शब्दों के स्थान पर, "जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में, "न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर" शब्दों के स्थान पर, "जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) धारा 59 में,--

(क) उपधारा (7) में, "न्यायालय में" शब्दों के स्थान पर, "जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (8) में, "न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर" शब्दों के स्थान पर, "जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) धारा 60 की उपधारा (1) में, "न्यायालय से आदेश" शब्दों के स्थान पर, "जिला मजिस्ट्रेट से आदेश" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) धारा 61 में,--

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :--

"दत्तक ग्रहण संबंधी कार्यवाहियों के निपटारे की प्रक्रिया ।";

(ख) उपधारा (1) में, "न्यायालय अपना यह समाधान करेगा" शब्दों के स्थान पर, "जिला मजिस्ट्रेट यह समाधान करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (2) में, "और मामले को न्यायालय द्वारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही का निपटारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) धारा 63 में, "न्यायालय द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "जिला मजिस्ट्रेट द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) धारा 64 में, "संबंधित न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे ;

(viii) धारा 65 की उपधारा (4) में, "न्यायालय से" शब्दों के स्थान पर,

"जिला मजिस्ट्रेट से" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 3

प्रकीर्ण

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अध्याय 8 के अधीन लंबित मामलों का जिला मजिस्ट्रेट को अंतरण ।

3. इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अध्याय 8 के अधीन न्यायनिर्णयन के लिए किसी न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां, ऐसी कार्यवाहियों को ग्रहण करने के लिए उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को अंतरित हो जाएंगी ।

2016 का 2

उद्देश्यों और कारणों का कथन

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (किशोर न्याय अधिनियम), विधि के उल्लंघन करने के अभिकथित और उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए व्यापक उपबंधों के साथ 15 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुआ है । किशोर न्याय अधिनियम, बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय, किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी नियम, 1985 (बीजिंग नियम), अपनी स्वतंत्रता से वंचित संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम, (1990), बालक संरक्षण और अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग संबंधी हेग कन्वेंशन (1993) तथा अन्य संबंधित अन्तरराष्ट्रीय लिखतों में विहित मानकों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है ।

2. किशोर न्याय अधिनियम का अध्याय 8 दत्तक ग्रहण के संबंध में है । किशोर न्याय अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि दत्तक ग्रहण, अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के लिए कुटुंब के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । किशोर न्याय अधिनियम की धारा 63 में यह कथित है कि दत्तक ग्रहण अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा दत्तक ग्रहण संबंधी आदेश जारी करने पर पूर्ण होगा । उक्त अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि न्यायालय द्वारा दत्तक ग्रहण संबंधी कार्यवाहियों का निपटारा आवेदन फाइल करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

3. तथापि, यह देखा गया है कि न्यायालयों द्वारा अत्यधिक कार्यभार होने के कारण दत्तक ग्रहण संबंधी आदेश जारी करने में अत्यधिक विलंब होता है । 20 जुलाई, 2018 तक संपूर्ण देश के विभिन्न न्यायालयों में दत्तक ग्रहण संबंधी आदेश पारित करने से संबंधित 629 मामले लंबित हैं । न्यायालयों द्वारा दत्तक ग्रहण संबंधी आदेश जारी करने में विलंब के कारण बालक, एक परिवार मिलने के बावजूद भी बाल देखभाल संस्थाओं में दुख के दिन काट रहा है ।

4. पूर्वोक्त मुद्दे के समाधान के लिए और बालक के सर्वोत्तम हित में, दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए आदेश जारी करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है । यह दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों की और अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों को पारिवारिक देखभाल और संरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए यथासमय प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा ।

5. तद्नुसार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018, में अन्य बातों के साथ-साथ--

(क) किशोर न्याय अधिनियम की धारा 63 के अधीन दत्तक ग्रहण का आदेश जारी करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त करने के लिए "न्यायालय" शब्द के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाने और धारा 56(5), धारा 58(3), धारा 58(4), धारा 59(7), धारा 59(8), धारा 60(1), धारा 61(1), धारा

61(2), धारा 64 और धारा 65(4) में पारिणामिक संशोधन करने ; और

(ख) किशोर न्याय अधिनियम के अध्याय 8 के अधीन दत्तक ग्रहण आदेशों से संबंधित किसी न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों का, ऐसी कार्यवाहियां ग्रहण करने हेतु उस क्षेत्र पर अधिकारिता वाले जिला मजिस्ट्रेट को अन्तरण करने,

का प्रस्ताव है ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
27 जुलाई, 2018

मेनका संजय गांधी

उपाबंध

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 2) से उद्धरण

* * * * * *

अध्याय 8

दत्तक ग्रहण

दत्तक ग्रहण ।

56. * * * * *

(5) कोई व्यक्ति, जो न्यायालय के विधिमान्य आदेश के बिना किसी बालक को किसी दूसरे देश में ले जाता है या भेजता है या किसी दूसरे देश में अन्य व्यक्ति को किसी बालक की देखरेख और अभिरक्षा को अंतरित करने के किसी इंतजाम में भाग लेता है, धारा 80 के उपबंधों के अनुसार दंडनीय होगा ।

* * * * * *

भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया ।

58. * * * * *

(3) भावी दत्तक माता-पिता से ऐसे माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट सहित बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण बालक को पूर्व-दत्तक ग्रहण पोषण देखरेख में देगा और दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में न्यायालय में आवेदन फाइल करेगा ।

(4) न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण उसे तुरन्त भावी दत्तक माता-पिता के पास भेजेगा ।

* * * * * *

किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया ।

59. * * * * *

(7) भावी दत्तक माता-पिता से बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में न्यायालय में आवेदन फाइल करेगा ।

(8) न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण उसे तुरन्त प्राधिकरण, राज्य अभिकरण और भावी दत्तक माता-पिता को भेज देगा और बालक के लिए पासपोर्ट अभिप्राप्त करेगा ।

* * * * * *

अंतरदेशीय नातेदार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया ।

60. (1) विदेश में रहने वाला कोई नातेदार, जो भारत में उसके नातेदार से किसी बालक के दत्तक ग्रहण का आशय रखता है, न्यायालय से आदेश अभिप्राप्त करेगा और प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्राधिकरण से निराक्षेप प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा ।

* * * * * *

दत्तक ग्रहण के प्रतिफलस्वरूप संदाय के विरुद्ध न्यायालय की प्रक्रिया और शास्ति ।

61. (1) कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने से पहले न्यायालय अपना यह समाधान करेगा कि--

(क) दत्तक ग्रहण बालक के कल्याण के लिए है ;

(ख) बालक की आयु और समझ को ध्यान में रखते हुए बालकं की इच्छाओं पर सम्यक् विचार किया गया है ; और

(ग) दत्तक ग्रहण फीस या सेवा प्रभार या बालक की समग्र देखरेख के मद्दे प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा अनुज्ञात के सिवाए, दत्तक ग्रहण के प्रतिफलस्वरूप कोई भी संदाय या पारिश्रमिक न तो भावी दत्तक माता-पिता ने दिया है या देने के लिए सहमत हुए हैं, न ही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या नातेदार दत्तक ग्रहण की दशा में बालक के माता-पिता या संरक्षक ने प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमत हुए हैं ।

(2) दत्तक ग्रहण कार्यवाहियां बंद कमरे में की जाएंगी और मामले को न्यायालय द्वारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा ।

* * * * * *

दत्तक ग्रहण का प्रभाव ।

63. उस तारीख से, जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, निर्वसीयतता सहित सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा बालक, जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया है, दत्तक माता-पिता का बालक हो जाएगा और दत्तक माता-पिता बालक के इस प्रकार माता-पिता हो जाएंगे मानो दत्तक माता-पिता ने बालक को पैदा किया है और उस तारीख से ही बालक या बालिका के जन्म के कुटुंब से बालक या बालिका के सभी संबंध समाप्त हो जाएंगे और उसके स्थान पर दत्तक ग्रहण आदेश द्वारा सृजित दत्तक कुटुंब में प्रतिस्थापित हो जाएंगे :

परंतु ऐसी कोई संपत्ति, जो उस तारीख से ठीक पूर्व, जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, दत्तक बालक में निहित हो गई उस संपत्ति के स्वामित्व से, संलग्न बाध्यताओं सहित, जिसके अंतर्गत जैव कुटुंब में नातेदारों का भरण-पोषण, यदि कोई हो, भी है, ऐसी बाध्यताओं के अध्यधीन बालक में निहित रहेंगी ।

दत्तक ग्रहण की रिपोर्ट ।

64. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संबंधित न्यायालय द्वारा जारी किए गए सभी दत्तक ग्रहण आदेशों की बाबत सूचना प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में मासिक आधार पर प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी, जिससे प्राधिकरण दत्तक ग्रहण के आंकड़े रखने के लिए समर्थ हो सके ।

विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ।

65. (1) * * * * *

(4) उस दशा में, जब कोई विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, समिति से दत्तक ग्रहण के लिए किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को विधिक रूप से मुक्त कराने में या भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने में या नियत समय के भीतर न्यायालय से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने में अपनी ओर से इस अधिनियम में या प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित आवश्यक कदम उठाने में व्यतिक्रम करता है तो ऐसा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और व्यतिक्रम की पुनरावृत्ति की दशा में राज्य सरकार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की मान्यता वापस ले लेगी ।

* * * * * *

MGIPMRND—1165LS(CRC)—30-07-2018.